FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

मिसल नम्बर :– ....20...... / 2024

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 **(इजराय)**

उनवानी

करण सिंह आदि **बनाम** राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेतडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2024	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मूल वाद संख्या 05/2021 उनवानी करण सिंह आदि बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेतड़ी निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 के परिप्रेक्ष्य में डिक्रीदार की ओर से श्री ग्यारसीलाल गूर्जर एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 की पालना हेतु डिक्रीदार की ओर से इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/66 दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय हाजा में पूर्व से पेश कर रखा है। इसलिये हस्तगत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खा[illegible] मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर पूर्व के इ[illegible] प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 जीसीए[illegible] अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सि[illegible] संहिता 1908 के संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:50:04 IST
Reason: SelfAttested